प्रेस विज्ञप्ति
22.10.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय-II ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत दिनांक 16.10.2026 को ठाणे, बारामती और नासिक में स्थित अस्पतालों/आईवीएफ केंद्रों सहित 10 परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया। ये तलाशियाँ मानव अंडाणुओं के अवैध निष्कर्षण से संबंधित रैकेट की चल रही जाँच के सिलसिले में की गईं।

ईडी ने महाराष्ट्र के ठाणे स्थित बदलापुर (पूर्व) पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी तथा उसके बाद दाखिल आरोपपत्र के आधार पर जाँच शुरू की। इसमें मंजुषा वानखेड़े और 16 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 के अंतर्गत धोखाधड़ी एवं जालसाजी के अपराधों तथा सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं।

यह मामला एक संगठित नेटवर्क से संबंधित है, जो आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को मानव अंडाणु दान के लिए भर्ती करता था तथा विभिन्न स्वामित्व प्रतिष्ठानों के अंतर्गत कार्यरत दाता-आपूर्ति एजेंटों के माध्यम से उन्हें विभिन्न आईवीएफ केंद्रों और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (एआरटी) बैंकों को उपलब्ध कराता था। इन महिलाओं को मौद्रिक मुआवजे के बदले भर्ती किया जाता था, जिसका भुगतान आईवीएफ केंद्रों और एआरटी बैंकों द्वारा एजेंटों के माध्यम से किया जाता था। एजेंटों को भी इस गतिविधि के लिए कमीशन मिलता था।

आगे की जाँच से पता चला है कि दाताओं की पहचान छिपाने, उनसे बार-बार अंडाणु दान करवाने तथा उनकी चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ होने की स्थिति को गलत तरीके से प्रमाणित करने के लिए आधार कार्ड, शपथपत्र, सहमति पत्र, जन्म प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, रक्त-जाँच रिपोर्ट और बीमा दस्तावेजों सहित जाली दस्तावेज तैयार किए गए और उनका उपयोग किया गया। आरोप है कि इन महिलाओं को मानव अंडाणु प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में स्थित विभिन्न संस्थानों में भेजा गया, जिससे उन्हें संभावित चिकित्सकीय जोखिमों का सामना करना पड़ा और निर्धारित चिकित्सकीय सुरक्षा उपायों को दरकिनार किया गया।

तलाशी अभियान के दौरान 29 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई, जबकि बैंक लॉकरों और म्यूचुअल फंड निवेशों को फ्रीज कर दिया गया। मामले से संबंधित सामग्री वाले आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण भी बरामद किए गए। इसके अतिरिक्त, जाँच के दौरान नए दाता एजेंटों की पहचान की गई है। बड़ी राशि से संबंधित कई अचल संपत्तियों और निवेशों का भी पता चला है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।